

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 45/2023-State Tax

Dated: 05/06/2025

No. F.3 (08)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-1501 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:-

“31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.—

Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money's worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.— Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for —


- (i) Purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or
- (ii) Participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

Explanation- For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player."

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification number 3/2017- State Tax, dated the 23th August, 2017, published, vide number F.2(3)/Policy-GST/2017/703-14, dated the 23th August, 2017 and were last amended, vide notification No. 38/2023 - State Tax, dated the 10th October 2024, vide number F.3(14)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/867.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (08)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 501

Dated: 05/06/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 45/2023-राज्य कर

दिनांक: 05/06/2025

फा0सं0 3 (08)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/501 -दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की अनुशंसाओं पर, एतद् द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम दिल्ली माल एवं सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
- (2) यह नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. दिल्ली माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 31क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"31ख. ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्ति का मूल्य . - इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य, ऑनलाइन मनी गेमिंग में सम्मिलित कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति सहित, आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या देय या जमा की गई कुल राशि होगी, जिसमें डिजिटल संपत्ति, खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से वर्चुअल भी सम्मिलित है:

परन्तु किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि, जिसमें खिलाड़ी किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि का उपयोग नहीं कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

31ग. कैसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य । - इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी -

(i) कैसीनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की खरीद; या


(ii) कैसीनो में खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की अपेक्षा नहीं है:

परन्तु कैसीनो द्वारा यथास्थिति खिलाड़ी को टोकन, सिक्के, चिप्स या टिकट लौटाने पर, या अन्यथा लौटाई गई कोई भी राशि, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.— नियम 31 ख और नियम 31 ग के प्रयोजन के लिए, खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी प्रतियोगिता को जीतकर खिलाड़ी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि, जिसका उपयोग उक्त खिलाड़ी द्वारा आगे की घटना में खेलने के लिए किया जाता है बिना निकासी के, उस खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या उसके पास जमा की गई राशि नहीं मानी जाएगी।”

टिप्पण:— मूल नियम दिनांक 23 अगस्त, 2017 की संख्या फा0 2(3)/नीति-जीएसटी/2017/703-14 के द्वारा प्रकाशित दिनांक 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं0 फा0 3/2017-राज्य कर के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण भाग-IV में प्रकाशित किया गया था तथा फा0 संख्या 3 (14)/वित्त (व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/867 के द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 की अधिसूचना सं0 38/2023-राज्य कर के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (09)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I / 501

दिनांक: 05/06/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)